रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16122023-250714
CG-DL-E-16122023-250714

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5122] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 15, 2023/अग्रहायण 24, 1945
No. 5122] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 15, 2023/AGRAHAYANA 24, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
विदेश व्यापार महानिदेशालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2023

सं. 53/2023

विषयः वनस्पति पदार्थों से युक्त फूड सप्लीमेंट की निर्यात नीति में संशोधन।

का.आ. 5351(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा अधिसूचना सं. **31/2023 दिनांक 11.09.2023** के आशोधन में आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति, 2018 की अनुसूची–2 में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

आईटीसी एचएस कोड	मद विवरण	निर्यात नीति	नीतिगत शर्तें
13021100	वनस्पति सैप्स और एक्स्ट्रैक्ट्सः अफीम	मुक्त	• यूरोपीय संघ (ईयू) और यूनाईटेड किंगडम को भारत में उद्गमित अथवा यहां से भेजे जाने वाले वनस्पति पदार्थ युक्त फूड सप्लीमेंट जो मानव अथवा पशु उपभोग के लिए हो, का निर्यात आधिकारिक प्रमाण–पत्र जारी
13021200	वनस्पति सैप्स और एक्स्ट्रैक्ट्सः लीकोरिस		
13021300	वनस्पति सैप्स और एक्स्ट्रैक्ट्सः हॉप्स		
13021400	वनस्पति सैप्स और एक्स्ट्रैक्ट्सः		

	अफेड्रा		करने के लिए नामित सक्षम प्राधिकारी निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी)/निर्यात निरीक्षण अभिकरण (ईआईए), द्वारा जारी आधिकारिक प्रमाण पत्र के अध्यधीन अनुमत है। आधिकारिक प्रमाण–पत्र यूरोपीय संघ द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार इस प्रयोजनार्थ ईआईसी/ईआईसी अनुमोदित प्रयोगशालाओं से संतोषजनक विश्लेषणात्मक परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर जारी किया जाएगा। • यूरोपीय संघ (ईयू) और यूनाईटेड किंगडम (यूके) को भारत में उद्गमित अथवा यहां से भेजे जाने वाले वनस्पति पदार्थ युक्त फूड सप्लीमंट जो मानव अथवा पशु उपभोग के लिए हो, सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित ईपीसी, शेफेक्सिल द्वारा आधिकारिक प्रमाण पत्र जारी करने की भी अनुमति दी गई है। आधिकारिक प्रमाण पत्र, यूरोपीय संघ द्वारा निर्धारित अपेक्षा के अनुसार इस उद्देश्य के लिए अनुमोदित वनस्पति युक्त खाद्य सप्लीमेंट के निर्यात के लिए इटीओ परीक्षण के लिए एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से संतोषजनक विश्लेषणात्मक परीक्षण रिपोर्ट पर आधारित होगा।
13021911	एक्स्ट्रैक्ट्सः बेलाडोना		
13021912	एक्स्ट्रैक्ट्सः कैस्करा सग्राडा		
13021913	एक्स्ट्रैक्ट्सः नक्स वोमिका		
13021914	एक्स्ट्रैक्ट्सः जिनसेंग (पाउडर सहित)		
13021915	एक्स्ट्रैक्ट्सः अगारोज		
13021916	एक्स्ट्रैक्ट्सः नीम		
13021917	एक्स्ट्रैक्ट्सः जिम्नेमा		
13021918	एक्स्ट्रैक्ट्सः गरासिनिया और गैम्बोज		
13021919	एक्स्ट्रैक्ट्सः अन्य		
13021920	एक्स्ट्रैक्ट्सः काजू शेल तरल (सीएनएसएल) क्रूड		
13021930	एक्स्ट्रैक्ट्सः प्यूरीफाइड और डिस्टिल्ड सीएनएसएल (कार्डनोल)		
13021990	एक्स्ट्रैक्ट्सः अन्य		
13022000	पेक्टिक सबस्टेंसेस, पेक्टिनेट्स और पेक्टेट्स		
21061000	प्रोटीन कॉन्सट्रेट और टैक्सचर्ड प्रोटीन सबस्टेंसेस		
21069091	अन्यः मधुमेह संबंधी खाद्य पदार्थ		
21069092	अन्यः स्टेरलाइज़्ड या पास्चुरीकृत मिलस्टोन		
21069099	अन्यः अन्य		

2. इस अधिसूचना का प्रभावः

अधिसूचना सं. 31/2023 दिनांक 11.09.2023 में संशोधन किया गया है। यूरोपीय संघ और यूनाइटेड किंगडम को उपर्युक्त आईटीसी एचएस कोड के तहत मानव अथवा पशु उपभोग के लिए अभिप्रेत वनस्पति पदार्थ युक्त फूड सप्लीमेंट के निर्यात के लिए ईआईसी/ईआईए या शेफेक्सिल द्वारा आधिकारिक प्रमाणपत्र जारी किए जाने की आवश्यकता होगी।

[फा. सं. 01/91/180/027/एएम22/ईसी/30745]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department Of Commerce)

DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE

NOTIFICATION

New Delhi, 15th December, 2023

No. 53/2023

Subject: Amendment in Export Policy of Food Supplements containing botanicals

S.O 5351(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 read with section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023, the Central Government hereby, in modification of Notification No. 31/2023 dated 11.09.2023, makes following amendment in schedule -2 of ITC (HS) Export Policy, 2018**,** as under: —

ITC(HS) Codes	Item Description	Export Policy	Policy Conditions
13021100	Vegetable Saps & Extracts: Opium	Free	• The export of Food Supplements containing botanicals to European Union (EU) and United Kingdom (UK) originating in or consigned from India and intended for
13021200	Vegetable Saps & Extracts: Of liquorice		

13021300	Vegetable Saps & Extracts: Of hops		human or animal consumption, allowed subject to issuance of the official certificate issued by Export Inspection Council (EIC)/ Export Inspection Agencies (EIAs), the designated Competent Authority for issuance of official certificate. The official certificate will be issued based on the satisfactory analytical test report from EIC/EIC approved laboratories for the purpose as per the requirement laid down by EU. • The export of Food Supplements containing botanicals to European Union (EU) and United Kingdom (UK) originating in or consigned from India and intended for human or animal consumption, also allowed, subject to issuance of the official Certificate by the designated EPC, SHEFEXIL, as Competent Authority for issuance of official certificate. The official certificate will be based on the satisfactory Analytical Test Report from NABL accredited laboratories for ETO testing for Food Supplements containing Botanicals approved for the purpose as per the requirement laid down by EU.
13021400	Vegetable Saps & Extracts: Of ephedra		
13021911	Extracts: Of Belladona		
13021912	Extracts: Of Cascara sagrada		
13021913	Extracts: Of nux vomica		
13021914	Extracts: Of ginseng (including powder)		
13021915	Extracts: Of agarose		
13021916	Extracts: Of neem		
13021917	Extracts: Of gymnema		
13021918	Extracts: Of garacinia and gambodge		
13021919	Extracts: Other		
13021920	Extracts: Cashew shell liquid (CNSL), crude		
13021930	Extracts: Purified and distilled CNSL(Cardanol)		
13021990	Extracts: Other		
13022000	Pectic substances, pectinates and pectates		
21061000	Protein concentrates and textured protein Substances		
21069091	Other: Diabetic foods		
21069092	Other: Sterilized or pasteurized millstone		
21069099	Other: Other		

2. Effect of This Notification:

Notification No. 31/2023 dated 11.09.2023 is amended. Export of Food Supplements containing botanicals under above mentioned ITC HS Codes intended for human or animal consumption to European Union and United Kingdom will require issuance of official certificate by EIC/EIA or SHEFIXIL.

[F. No. 01/91/180/027/AM22/EC/E-30745]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade Ex-Officio Addl. Secy,

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2023.12.16 16:34:08 +05'30'